त्रिपुरा राज्य व अन्य

बनाम

बीना चौधरी व अन्य

22 मई, 2007

[डॉ. अरिजीत पसायत व लोकेश्वर सिंह पंत, जे.जे.]

भारतीय वन (त्रिपुरा द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1986 - धारा 52ए - वन अपराध - अवैध इमारती लकड़ी ले जाने वाला वाहन जब्त - अपराध का शमन - वाहन की कीमत के आधार पर 10,000/- रुपये और मुआवजे के रूप में 2,000/- रुपये जमा करने पर वाहन को छोडने का निर्देश दिया गया - जमा किया गया - इस दौरान, वन क्षेत्र कार्यालय से वाहन का गियर बॉक्स चोरी हो गया, इसलिए वाहन मालिक को वापस नहीं किया जा सका - मालिक ने वाहन से होने वाली आय के नुकसान के लिए मुआवजे का दावा करते हुए धन संबंधी वाद दायर किया - विचारण न्यायालय ने मुकदमा का निर्णय सुनाया; मालिक को निर्दिष्ट अवधि के लिए 2.03/- लाख रूपये **ब्याज** के साथ और उसके बाद वाहन वापिस किए जाने तक प्रति दिन 252/- रूपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया - उच्च न्यायालय द्वारा आदेश की पुष्टि की गई - अपील में आदेश विचारण न्यायालय ने बिना किसी साक्ष्य के आय के नुकसान का आकलन किया -

वाहन से होने वाली आय साबित करने के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया - इसलिए अधीनस्थ न्यायालयों का निर्णय अपोषणीय - लंबा समय बीतने और विवाद की सीमित प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, मामले को फिर से सुनवाई के लिए विचारण न्यायालय को वापिस भेजने के बजाय, मालिक को दावे के पूर्ण और अंतिम निपटारे में रूपये 35,000/- का भुगतान करने का निर्देश दिया गया।

वन क्षेत्र के कर्मचारियों ने अवैध इमारती लकड़ी ले जा रहे एक ट्रक को जब्त कर लिया। ट्रक के मालिक को भारतीय वन (त्रिपुरा द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1986 की धारा 52 ए के अंतगर्त किये गये अधिहरण हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। मालिक ने अपना जुर्म स्वीकार किया और अपराध के शमन के लिए प्रार्थना की। जवाब में, मुख्य वन संरक्षक ने ट्रक की कीमत के रूप में रूपये 10,000/- और रूपये 2,000/- मुआवजे के रूप में जमा करने पर मामले को शमन करने का निर्देश दिया। तदनुसार जमा किया गया। इस बीच, वन क्षेत्र कार्यालय के कार्यालय परिसर से ट्रक का गियर बॉक्स चोरी हो गया। चोरी के कारण, ट्रक को मालिक को वापस नहीं किया जा सका, जिसने उक्त ट्रक से होने वाली आय के नुकसान के मुआवजे का दावा करते हुए धन संबंधी वाद दायर किया। विचारण न्यायालय ने दिनांक 18.10.1993 से दिनांक 31.12.1995 तक रूपये 2,03,364/- मय 12 प्रतिशत सालाना ब्याज और

उसके बाद प्रतिदिन 252/- रूपये जब तक ट्रक वापस नहीं किया जाता की राशि का निर्णय मुकदमे में सुनाया । उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की। अतः वर्तमान अपील प्रस्तुत हुई।

अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने मानाः

1. वाहन (ट्रक) से होने वाली आय के संबंध में कोई विशिष्ट मुद्दा नहीं कायम किया गया था। यह विचारण न्यायालय ने स्वयं गौर किया था कि वादी - मालिक ने अत्यधिक दावा किया था और उसका दावा कि वाहन प्रतिदिन संचालित होता था बेतुका था। विचारण न्यायालय द्वारा किए गए सभी आकलन बिना किसी साक्ष्य के थे। आय के नुकसान के सवालों पर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई। इसके अलावा, मूल दावा 1,68,000/- रूपये का था, जिसे बाद में संशोधित कर 15,54,000/- रूपये कर दिया गया। वादपत्र में आय या हानि के बारे में कोई कथन नहीं किए गए थे। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री तथा उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश के कोई कानूनी आधार नहीं है। वादी संख्या एक की साक्ष्य अभिलेख पर है। असल में पीडब्लू-1 के पुत्र पीडब्लू-2 ने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि उनके द्वारा वाहन की आय साबित करने के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

[ पैरा 19] [753-जी; 757-ए, बी]

2. उच्च न्यायालय के निष्कर्ष एकाएक हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय इस तथ्य से अनभिज्ञ था कि वह एक धन संबंधी वाद की अपील का फैसला कर रहा था।

[पैरा 18] [756-ई]

3. सामान्य तौर पर, इस न्यायालय ने आक्षेपित आदेश को अपास्त कर दिया होता और विचारण न्यायालय को मामले की फिर से सुनवाई करने और नए सिरे से फैसला करने का निर्देश दिया होता। लंबा समय बीतने और विवाद की सीमित प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी द्वारा वादी को दावे के पूर्ण और अंतिम निपटारे में 35,000/- रूपये का दो महिने के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया गया।

[पैरा 20] [757-बी, सी]

सिविल अपीलीय अधिकारिताः 2005 की सिविल अपील सं. 2362

गुवाहाटी उच्च न्यायालय के (प्रथम अपील सं. 113/1997) में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 19-12-2002 से।

अपीलार्थीगण की ओर से गोपाल सिंह, ऋतुराज विश्वास और अनुकुल राज।

प्रत्यर्थीगण की ओर से शिबाशीष मिश्रा, अजय यादव और के. वी. मोहन।

डॉ. अरिजीत पसायत, जे. द्वारा न्यायालय का निर्णय दिया गया।

1. इस अपील में चुनौती गुवाहाटी उच्च न्यायालय, अगरतला खंड पीठ द्वारा पारित आदेश को दी गई। उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय आैर डिक्री को पुष्ट करते हुए अपीलार्थीगण द्वारा दायर प्रथम अपील को खारिज कर दिया। उक्त निर्णय द्वारा विचारण न्यायालय ने दिनांक 18-10-1993 से दिनांक 31-12-1995 तक 2,03,364/- रूपये मय 12 प्रतिशत सालाना ब्याज की राशि और उसके बाद प्रतिदिन 252/- रूपये वाहन वापिस किये जाने तक की राशि का निर्णय मुकदमे में सुनाया।

2. पृष्ठभूमि के तथ्य बहुत दिलचस्प हैं और अनिवार्य रूप से निम्नानुसार हैंः

3. चंपकनगर रेंज स्टाफ द्वारा अवैध इमारती लकडी ले जा रहे एक वाहन पंजीकरण संख्या टीआरएल 2443 को जब्त किया गया। चंपकनगर वन रेंज के चंपाबारी बीट कार्यालय के वन बीट कार्यालय द्वारा उक्त वाहन मालिक के खिलाफ अवैध रूप से एकत्रित 57 नग अचिह्नित गेमर सॉनी लकड़ी को अवैध रूप से ले जाने के लिए एक अपराध रिपोर्ट संख्या

3/सी.बी.-93 दिनांकित 11.06.1993 तैयार की गई थी। उक्त वाहन का चालक वन उपज ले जाने के लिए वन नियमों के तहत आवश्यक वाहन के पंजीकरण कागज प्रस्तुत नहीं कर सका और जी. पी. और ट्रांजिट पास ऑफ फॉरेस्ट जैसे कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने में भी विफल रहा। वाहन चालक कार्तिक चंद्र घोष को गिरफ्तार कर लिया गया और वाहन को जब्त कर लिया गया और बाद में लीलामुरा पुलिस थाने के चंपकनगर रेंज में लाया गया और प्रभारी प्रभागीय वन संरक्षण दल, तलियामुरा की अभिरक्षा में रखा गया।

4. दिनांक 21.6.1993 को वाहन मालिक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि उक्त वाहन को भारतीय वन (त्रिपुरा द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1986 की धारा 52ए (संक्षेप में 'त्रिपुरा अधिनियम') के तहत अधिहरण क्यों नहीं किया जावे।

5. दिनांक 26.6.1993 को ट्रक के मालिक ने कारण बताओ नोटिस के जबाव में जुर्म स्वीकार किया और अपराध के शमन के लिए प्रार्थना की।

6. दिनांक 13.8.1993 को मुख्य वन संरक्षक त्रिपुरा ने ट्रक की कीमत के रूप में 25,000/- रूपये और मुआवजे के रूप में 5,000/- रुपये की वसूली पर मामले को शमन करने का निर्देश दिया।

7. दिनांक 27.9.1993 को भुगतान प्राप्त होने पर वाहन को छोड़ने का निर्देश दिया गया। उसी तारीख को वाहन के मालिक ने वाहन के पुराने होने से पुनः मूल्याकंन और वाहन की कीमत में कमी के लिए प्रार्थना की थी। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर विचार करते हुए, मुख्य वन संरक्षक त्रिपुरा ने अपने पिछले आदेश को संशोधित करते हुए अपने आदेश दिनांक 27-09-1993 के द्वारा पुनर्मूल्यांकन करते हुए ट्रक की कीमत रूपये 10,000/- और मुआवजा 2,000/- रुपये, तदनुसार राशि निधार्रित की। यह निर्देश दिया गया था कि ट्रक के मालिक को एक लिखित शपथ पत्र दिया जाना था कि वह यह सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में वाहन का उपयोग किसी भी वन अपराध कारित करने के लिए नहीं किया जाएगा। भुगतान करने के लिए दिनांक 30.10.1993 तक का समय दिया गया था। दिनांक 12/13.10.1993 की रात को रेंज कायार्लय के कार्यालय परिसर से कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा वाहन का गियर बॉक्स चोरी कर लिया था।

8. दिनांक 18.10.1993 को कीमत और मुआवजे के संबंध में राशि जमा की गई थी।

9. दिनांक 14.10.1993 को वाहन के गियर बॉक्स की चोरी को दर्ज करने के लिए एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (संक्षेप में 'एफ़.आई.आर.') दर्ज की गई। दोषियों को पकड़ने और गियर बॉक्स की बरामदगी के लिए वन अधिकारी के समक्ष भी मामला उठाया गया था। उपरोक्त परिस्थितियों के

कारण वाहन को वापिस नहीं किया जा सका। वाहन के मालिक सुधीर भूषण चौधरी ने दिनांक 12.1.1994 को कानूनी नोटिस जारी किया। इसके पश्चात मई, 1994 में (1994 का एम.एस./27) न्यायालय सहायक जिला न्यायाधीश संख्या 1, पश्चिम त्रिपुरा, अगरतला में एक धन संबंधी वाद दायर किया, जिसमें दिनांक 10.1.1994 से भुगतान तक मुआवजा राशि रूपये 1,68,000/- मय 18 प्रतिशत सालाना ब्याज की प्रार्थना की गई। जबाव दावा में मांग का विरोध किया गया और दावा बिना किसी आधार का होने का निवेदन किया गया।

10. दिनांक 22.7.1996 को विचारण न्यायालय ने दिनांक 18.10.1993 से दिनांक 31.12.1995 तक की अवधि के लिए 2,03,364/- रूपये और उसके बाद प्रतिदिन 252/- रूपये की राशि का मुकदमे में फैसला सुनाया। प्रतिवादीगण को निर्णय की तारीख से दो माह के भीतर वादी को वाहन वापिस करने का भी निर्देश दिया गया था।

11. उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की गई। अपील लंबित रहने के दौरान वाहन की मरम्मत कराने और इसे चालू स्थिति में करने के बाद वाहन को सौंप दिया गया था।

12. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उच्च न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया। अपील लंबित रहने के दौरान मूल मालिक सुधीर

भूषण चौधरी की मृत्यु हो गई और उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को रिकॉर्ड पर लिया गया।

13. अपीलार्थियों का यह तर्क है कि वादी ने स्वयं वाहन को छोडने की मांग करते समय यह प्रकट किया कि वाहन की कीमत बहुत कम थी अपितु रूपये 25,000/- से भी कम थी, जैसा कि मूल रूप से तय किया गया था। वाहन की उम्र को ध्यान में रखते हुए कीमत रूपये 10,000/- उद्धृत की गई थी। यह समझ से परे है कि ऐसे वाहन से प्रतिदिन रूपये 600/- की आय हो, जैसा की मूल रूप से दावा किया गया था। दावा रूपये 15,54,000/- का था। इस दावे के अलावा किसी भी आय की कोई साक्ष्य नहीं दी गई कि मालिक 2,000/- रुपये प्रति दिन कमा रहा था। विचारण न्यायालय ने पाया कि कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई थी, फिर भी यह माना गया कि आय लगभग रूपये 600/- प्रति दिन होगी। विचारण न्यायालय ने स्वयं यह गौर किया था कि वादी ने मुआवजे के साथ-साथ ब्याज के लिए भी अत्यधिक राशि का दावा किया था। वाहन वर्ष 1979 का था। विचारण न्यायालय ने यह स्वयं गौर किया था कि यह समझ से बाहर था कि रूपये 10,000/- की कीमत का वाहन 7,200/- प्रति माह प्राप्त करेगा, जैसा कि अपीलार्थी द्वारा दावा किया गया था।

14. इसके बाद पूरी तरह से अनुमानों और अनुमानों पर उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया की एक नए ट्रक की आय 2,000/- रुपये प्रति

दिन होगी और यदि वाहन को प्रति माह रूपये 100/- की कटौती करके बेचा जाना था तो वाहन प्रति दिन लगभग रूपये 600/- कमा रहा था।

15. इसके बाद विचारण न्यायालय ने बिना किसी प्रस्तुत साक्ष्य के परिकल्पना पर व्यय का परीक्षण किया। विचारण न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट रूप से वर्णित किया था कि वादी द्वारा आय के नुकसान के दावे को पुष्ट करने के लिए कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई थी। उच्च न्यायालय ने इनमें से किसी भी सुसंगत तथ्यों का परीक्षण नहीं किया और एकाएक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि एक पुराने वाहन की वास्तविक कीमत या कमाई का आकलन करना बहुत कठिन होगा। इस तथ्य की स्पष्ट रूप से उपेक्षा की कि वादी द्वारा आय के दावे की पुष्टि हेतु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई थी। यह विचारण न्यायालय के लिए नहीं था कि वह एक साबित करने वाली जांच पर जाए और बिना किसी आधार के आंकड़े तय करे।

16. संक्षेप में, यह प्रस्तुत किया गया था कि उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट किए गए विचारण न्यायालय के निर्णय और डिक्री को कायम नहीं रखा जा सकता है।

17. जवाब में, विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने कथन किया कि हालांकि यह एक तथ्य है कि अभी तक कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं की गई,

उच्च न्यायालय ने आय निर्धारित करने के लिए विवेकपूर्ण और न्यायसंगत तरीके से कार्यवाही की।

18. उच्च न्यायालय के निष्कर्ष एकाएक हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया की वह धन संबंधी वाद की अपील का निर्णय कर रहा था। केवल ध्यान देने योग्य निष्कर्ष इस प्रकार हैः

"हम विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रति दिन रूपये 252/- की आय के नुकसान का आकलन करने में कोई अवैधता नहीं पाते है। यह सहीं है कि मामले की ऐसी प्रकृति में, पुराने वाहन, जैसा की इस प्रकरण में है, की वास्तविक शुद्ध आय को सुनिश्चित करने हेतु सटीक आंकलन करना बहुत कठिन होगा। विद्वान विचारण न्यायालय ने अनुमानित गणना पर एक मोटा मूल्यांकन किया और इस तरह हमने यह राय मानी कि इस अपील में हस्तक्षेप करने के लिए यह मामला उचित नहीं है।"

19. वाहन से आय के संबंध में कोई विशिष्ट मुद्दा नहीं कायम किया गया था। विचारण न्यायालय ने स्वयं गौर किया था कि वादी ने एक अत्यधिक दावा किया था और वादी का दावा, कि वाहन प्रतिदिन संचालित होता था, एक बेतुका दावा था। विचारण न्यायालय द्वारा किए गए सभी आकलन बिना किसी साक्ष्य के थे। आय के नुकसान के सवालों पर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई थी।

यह ध्यान देने योग्य है कि मूल दावा रूपये 1,68,000/- का था जिसे बाद में संशोधित कर रूपये 15,54,000/- का कर दिया गया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री तथा उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश के कोई कानूनी आधार नहीं है। वादी संख्या 1 की साक्ष्य अभिलेख पर है। असल में पीडब्लू-1 के पुत्र पीडब्लू-2 ने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि उसके द्वारा वाहन की आय साबित करने के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

20. सामान्य तौर पर, हमने आक्षेपित आदेश को अपास्त कर दिया होता और विचारण न्यायालय को मामले की फिर से सुनवाई करने और नए सिरे से फैसला करने का निर्देश दिया होता। लंबा समय बीतने और विवाद की सीमित प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, हम निर्देश देते है कि प्रतिवादी द्वारा वादी को आज दिनांक से, दावे के पूर्ण और अंतिम निपटारे में, 35,000/- रूपये का दो महिने के भीतर भुगतान किया जाएगा। तदनुसार आदेश दिया।

21. बिना किसी खर्चे संबंधी **आदेश** के उपरोक्त सीमा तक अपील स्वीकार की जाती है।

अपील स्वीकार।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अंकिता सिंघल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

**अस्वीकरण**: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।